

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

2

अनुमति वाद संख्या :- 211/2018-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

तुर्जन संगी
तुरलेन संगी

- विक्रेता
- क्रेता

की क्रम
ख्या और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्रवाई के
बारे में टिप्पणी,
तारीख सहित

13.10.18

आदेश

आवेदक तुर्जन संगी पिता स्व० दयाल संगी ग्राम-फुदी, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने तुरलेन संगी पिता स्व० दानिएल संगी ग्राम-चलागी, थाना खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के वि क्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)
फुदी	221	87	28	0.11

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं० 1492015685 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 852 दिनांक 11.10.2018 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम वोवस मुण्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार जय मसीह मुण्डा वगैरह के नाम भूमि का रकबा 4.46 एकड़ है। आवेदक के पास रकबा 4.46 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 17-18 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 12968.00(बारह हजार नौ सौ अड़सठ रुपये मात्र)रु० प्रति डिसमिल है। इस भूमि के वि क्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि वि क्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 4.35 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रय एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु वि क्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण तुर्जन संगी पिता स्व० दयाल संगी को तुरलेन संगी पिता स्व० दानिएल संगी के साथ ग्राम फुदी के खाता सं० 87 खेसरा संख्या 28 का रकबा 0.11 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 12968.00(बारह हजार नौ सौ अड़सठ रुपये मात्र)रु० प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि वि क्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।